भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

कृषि: बाजार पहुंच बढ़ाने पर जोर

श्रेया नंदी

अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधिमंडल कृषि उत्पादों में अधिक बाजार पहुंच के लिए दबाव डाल सकता है। इसका कयास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने बुधवार को मक्का, सोयाबीन और मांस उत्पादों पर भारत के प्रतिरोध का उल्लेख किया है। उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 9 से 12 दिसंबर तक भारत दौरे पर है। इसमें कृषि में विशेषज्ञता वाले व्यापार अधिकारी भी शामिल हैं।

मुख्य वार्ताकार और सहायक यूएसटीआर ब्रेंडन लिंच के अलावा प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए उप यूएसटीआर ओल्या लुटचिन आदि शामिल हैं। घटनाक्रम से अवगत दो लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी दी।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीनेट एप्रोप्रिएशंस उप-समिति के सामने बयान में जैमीसन ग्रीर ने कहा कि अमेरिका का अभी तक भारत के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ है लेकिन इस दिशा में बाचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ग्रीर ने सीनेटरों को बताया, 'भारत में कुछ कृषि उत्पादों और मांस के लिए प्रतिरोध है। इस पर सहमति बनाना कठिन काम है।'

हालांकि ग्रीर ने स्वीकार किया, 'भारत का रुख काफी नरम हुआ है। जिस तरह के प्रस्ताव पर वे हमसे बात कर रहे हैं, वह सबसे अच्छा है।'

भारत साल के अंत से पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है। उपरोक्त व्यक्तियों में से एक ने कहा कि मौजूदा बैठकें बातचीत का नया दौर नहीं है, बल्कि हाल ही में नियुक्त उप यूएसटीआर यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि समझौते को क्या रोक रहा है और किस तरह अंतिम रूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है।

अक्टूबर के बाद से दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। बातचीत के एक नए दौर की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि अमेरिकी दल कृषि से संबंधित बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार और गैर-शुल्क बाधाएं जैसे कुछ मुद्दे का हल निकालने पर जोर दे रहा है।

अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि उप यूएसटीआर स्विट्जर के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। प्रवक्ता ने कहा, 'हम व्यापार और निवेश मामलों पर भारत सरकार के साथ अपने चल रहे जुड़ाव को महत्त्व देते हैं और एक ऐसे व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच एक उत्पादक और संतुलित व्यापारिक संबंध की ओर ले जाए।' प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ-साथ भारतीय पक्ष के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन के साथ बैठकें कीं। स्विट्जर ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से भी मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारतीय चावल पर नए टैरिफ का संकेत दिया, जिसमें भारत पर अमेरिकी बाजार में चावल डंप करने का आरोप लगाया गया है।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय वार्ता मार्च में शुरू हुई थी और अब तक लगभग आधा दर्जन दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें अंतिम अनौपचारिक दौर 15-17 अक्टूबर को वाशिंगटन में हुआ था।

सैयारा, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का जलवा

रोशनी शेखर

बॉलीवुड के नए कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा अभिनीत यशराज फिल्म्स की फिल्म 'सैयारा' और आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' आईएमडीबी की साल की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म और सीरीज सूची में पहले स्थान पर रही हैं। जेन जी को दीवाना बनाने वाली सैयारा के बाद दूसरे स्थान पर मध्य बजट की एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा रही। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस कमाई के मामले में उद्योग और विश्लेषकों को चौंका दिया था। आईएमडीबी सूची में जगह बनाने वाली यह पहली एनिमेटेड फिल्म भी बनी।

आईएमडीबी ने सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज की सूची जारी करते हुए कहा कि यह रैंकिंग आईएमडीबी के 25 करोड़ से अधिक मासिक वैश्विक विजिटर के 'पेज व्यू' पर आधारित है, जिसमें दर्शक कौन सी फिल्म या सीरीज देखें, यह तय करने के लिए आईएमडीबी पर ही निर्भर रहते हैं।

मैडोक फिल्म की फिल्म छावा जिसमें विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है, इस सूची में तीसरे नंबर पर है। इस फिल्म ने देश में सितंबर तक कुल 693 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। अक्टूबर में 735 करोड़ रुपये की कमाई के साथ छावा को पछाड़ने वाली ऋषभ शेट्टी की कांतारा: ए लिजेंड चैप्टर-1 चौथे स्थान पर आई है।

ओमान, न्यूजीलैंड समेत कई देशों संग एफटीए शीघ्र

बीएस संवाददाता

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर बातचीत अंतिम चरण में है। भारत को जल्द ही यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत पूरी होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी व्यापार टीम मंगलवार से भारत में है। उनके साथ चर्चा लगातार आगे बढ़ रही है। हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत भी जल्द संपन्न होगी।

जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर गोयल ने संवाददाताओं से कहा, 'दो दिन पहले चिली के व्यापार मंत्री यहां आए थे। चिली के साथ जल्द ही मुक्त व्यापार समझौता होगा। इसी तरह ओमान के साथ भी हमारी बातचीत अंतिम चरण में है। न्यूजीलैंड के मंत्री (टॉड मैक्ले)

परसों भारत आ रहे हैं। उनके साथ भी हमारी चर्चा पूरी होने वाली है।'

वाणिज्य विभाग के बयान के अनुसार, भारत और ओमान ने नवंबर 2023 में व्यापक वार्ता शुरू की थी। गहन वार्ता के तीन दौर (नवंबर 2023 से मार्च 2024) के बाद दोनों पक्ष बाजार पहुंच प्रस्तावों सहित सभी सीईपीए घटकों पर अंतिम समझौते पर पहुंच चुके हैं।

मार्च 2024 में प्रस्तुत एक कैबिनेट प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद पुनः बातचीत हुई। सितंबर 2024 में चौथे दौर और इस साल 13 से 14 जनवरी को पांचवें दौर की बातचीत संशोधित प्रस्तावों पर ही केंद्रित रही। विभाग ने एक बयान में कहा, 'सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद हस्ताक्षर और औपचारिक मंजूरी के लिए मसौदा कैबिनेट नोट संबंधित मंत्रालयों को परिचालित किया गया था। दोनों पक्ष अब आंतरिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।' गोयल ने यह भी कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है और समझौते की रूपरेखा तैयार है। उन्होंने कहा, 'ईयू व्यापार आयुक्त के साथ चर्चा बहुत सकारात्मक रही। मुझे विश्वास है कि जल्द ही समझौते पर निर्णय हो जाएगा।'

दो-तिहाई दौलत 10% लोगों के पास

शिवा राजौरा और हिमांशी भारद्वाज

भारत में संपत्ति की असमानता दुनिया में सबसे अधिक बनी हुई है। बुधवार को जारी ताजा वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल संपत्ति का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा शीर्ष 10 प्रतिशत लोगों के पास है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के हिस्से में केवल 6.4 प्रतिशत संपत्ति ही है।

अर्थशास्त्रियों लुकस चांसेल, रिकार्डो गोमेज़-कारेरा, रोवैदा मोशरिफ और थॉमस पिकेटी द्वारा संपादित रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शीर्ष 1 प्रतिशत भारतीयों के पास देश की लगभग 40 प्रतिशत संपत्ति है। आय असमानता के मामले में रिपोर्ट कहती है कि देश में शीर्ष 10 प्रतिशत कमाने वाले राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत को केवल 15 प्रतिशत मिलता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'देश में आय, संपत्ति और लैंगिक आयामों में असमानता बहुत गहरी पैठ बनाए हुए है। इससे यह साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में आंतरिक तौर पर किस कदर विभाजन गहराता जा रहा है।'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच शीर्ष 10 प्रतिशत और नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के बीच आय का अंतर मामूली रूप से बढ़कर 38 प्रतिशत से 38.2 प्रतिशत हुआ है।

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय लगभग 6,200 यूरो है। औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो है, जबकि महिला श्रम भागीदारी 15.7 प्रतिशत के स्तर पर है जो बहुत कम बनी हुई है। खास बात यह है कि महिला श्रम भागीदारी के मामले में पिछले दशक में कोई सुधार नहीं हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 1980 में भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय आय हिस्सेदारी के मध्य 40 प्रतिशत में आता था, लेकिन आज लगभग सभी नीचे के 50 प्रतिशत में सिमट गए हैं। वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है लेकिन यह बहुत असमान रूप से वितरित है। रिपोर्ट में इस असमानता को दूर करने के लिए तत्काल कोई कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि 60,000 से कम यानी दुनिया की आबादी का 0.001 प्रतिशत लोग पूरी दुनिया की आबादी के आधे हिस्से की तुलना में तीन गुना अधिक संपत्ति के मालिक हैं। इन 0.001 प्रतिशत वयस्कों के पास व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा 1995 में कुल संपत्ति का लगभग 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में लगभग 6.1 प्रतिशत हो गया है। लेकिन, सबसे गरीब दूनिया की आधी आबादी के स्वामित्व वाली संपत्ति का हिस्सा 2000 के दशक की शुरुआत से लगभग 2 प्रतिशत पर स्थिर है।

कार्बन उत्सर्जन की असमानता में पूंजी स्वामित्व की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आबादी का सबसे गरीब आधा हिस्सा निजी पूंजी स्वामित्व से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में केवल 3 प्रतिशत योगदान देता है जबकि शीर्ष 10 प्रतिशत लोग इस उत्सर्जन में 77 प्रतिशत योगदान देते हैं। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब से संबद्ध दुनिया भर के 200 से अधिक विद्वानों के अध्ययन पर आधारित है।

Insight awakens with curiosity.

Every understanding begins with wondering why.

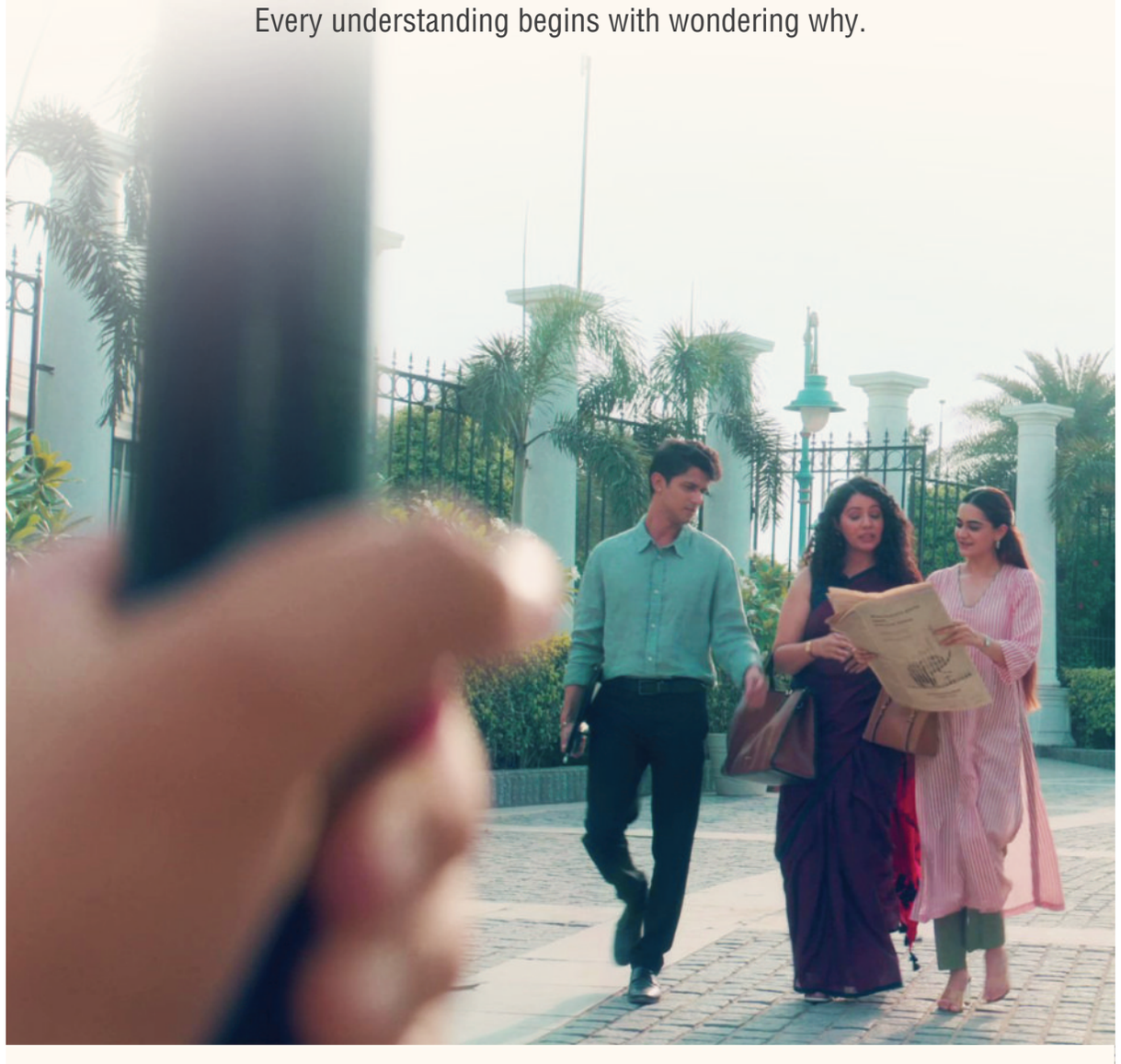

Business Standard
Insight Out

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोली संख्या **GEM/2025/B/6984238** द्वारा **"Supply, Implementation & Management of Next-Generation Security Operation Centre (NG-SOC) Solutions."** के लिए ई-बोली आमंत्रित की जाती है.

GeM पोर्टल पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि है दिनांक 16.01.2026 को 15:00 बजे तक. अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें: **www.centralbankofindia.bank.in**

मुख्य प्रबंधक-आईटी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सेक्टर 7, रोहिणी,
एफ 26/9 सेक्टर 7 ,रोहिणी , दिल्ली–110085
ईमेल– ubin0906395@unionbankofindia.bank.in

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना

अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रोहिणी सेक्टर 7 शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (दूसरा) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(12) के सहपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में, **18.09.2025** को मांग सूचना जारी करते हुए कर्जदार **श्री कमल कुमार झा और कला देवी,** दोनों निवासी म. सं. 235, ब्लॉक सी पॉकेट 7 सेक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली 110085 को सूचना में उल्लेखित देय राशि **रुपये 4,93,518.69/–** (रुपये चार लाख तैरानबे हजार पांच सौ अठारह और उनहत्तर पैसा मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया।

कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस **10 दिसंबर, वर्ष 2025** को निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **रुपये 4,93,518.69/–** और उस पर ब्याज के साथ **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

अचल परिसंपत्ति का विवरण

फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति धारक सं. 235, मापक क्षेत्र 48 वर्ग मीटर ब्लॉक सी पॉकेट 7 सेक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली 110085 का वह सवांगीण भाग, सिमांकन: पूर्व : प्लॉट सं. 228, पश्चिम: खुला, उत्तर: प्लॉट सं. 236, दक्षिण : प्लॉट सं. 229

दिनांक : 10/12/2025, स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

pnb पंजाब नैशनल बैंक
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...मरोसे का प्रतीक

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच–गाजियाबाद, केजे–13, दूसरी मंजिल, कवि नगर, उ.प्र.–201001 ईमेल आईडी: cs8228@pnb.bank.in

शुद्धिपत्र

श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री रामनेत सिंह के खाते में अकाउंट सम्पत्ति के कब्जे के लिए कृपया बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) दिल्ली संस्करण के 05.11.2025 के **पेज 08** पर और बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी) संस्करण के 05.11.2025 के **पेज 13** पर प्रकाशित कब्जा सूचना दिनांकित 04.11.2025 को देखें। कुछ तकनीकरण कारणों से बैंक ने यह कब्जा सूचना वापस ले लिया है।

दिनांक: 10.12.2025, स्थान: गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

pnb पंजाब नैशनल बैंक
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...मरोसे का प्रतीक

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच–गाजियाबाद, केजे–13, दूसरी मंजिल, कवि नगर, उ.प्र.–201001 ईमेल आईडी: cs8228@pnb.bank.in

शुद्धिपत्र

कृपया दिनांक **12.01.2026** को होने वाली ई–नीलामी के लिए बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी) दिल्ली संस्करण दिनांक **06.12.2025** को **पृष्ठ–02** पर तथा बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिंदी) संस्करण दिनांक **06.12.2025** को **पृष्ठ–13** में प्रकाशित बिक्री नोटिस दिनांक 05.12.2025 का संदर्भ लें। जिसमें क्रमांक 7, **मेसर्स माइक्रो सुगर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड** के खातों की परिसंपत्तियों/संपत्ति की ई–नीलामी बिक्री नोटिस कुछ तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया है।

दिनांक: 10.12.2025, स्थान: गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
https://bankofbaroda.bank.in

बॉन्ड धारकों के लिए सूचना – कॉल विकल्प का प्रयोग करना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा: बासेल III एडिशनल टियर I बॉन्ड – श्रृंखला XV (आईएसआईएन: INE028A08240) एवं श्रृंखला XVI (आईएसआईएन: INE028A08257)

यह सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा संबंधित सूचना ज्ञापन (आईएम) संदर्भ में आबंटन की मानित तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर उपरोक्त बॉन्ड्स के लिए कॉल विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। बॉन्ड्स के विवरण निम्नानुसार हैं:

आईएसआईएन	INE028A08240	INE028A08257
निर्गम का आकार	₹969.00 करोड़	₹188.00 करोड़
निर्गम की तारीख	13-जनवरी-2021	28- जनवरी -2021
रिकॉर्ड तारीख	26-दिसंबर-2025	12- जनवरी -2026
कॉल विकल्प तारीख	13- जनवरी -2026	28- जनवरी -2026
कॉल विकल्प के प्रयोग के कारण ब्याज सहित मोचन भुगतान की तारीख	13- जनवरी -2026	28- जनवरी -2026

यह संबंधित बॉन्ड धारकों की जानकारी के लिए है।

स्थान: मुंबई **उप महाप्रबंधक**
दिनांक: 11.12.2025 **ट्रेजरी** (124/25-26)

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
Great Place To Work. Certified

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
सीआईएन: **L40101HR1975GOI032564**
ईपीएबीएक्स सं . 0129–2588110/2588500
वेबसाइट : **www.nhpcindia.com** ई–मेल: **investorcell@nhpc.nic.in**

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली"), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन शेयरों को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन, में कंपनी ने दिनांक 10.12.2025 के अपने पत्र के माध्यम से संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर 11 मार्च, 2026 के बाद आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हैं, को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है कि वे यथाशीघ्र परंतु दिनांक 11 मार्च, 2026 से पहले अपने अदावाकृत/ अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे शेयरधारकों के सुसंगत विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर निवेशक कॉर्नर→ आईईपीएफ विवरण पर अपलोड किए गए हैं। कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को ही शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ नियमावली के अनुपालन में ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात् लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

नवम्बर, 2025 तक जिन शेयरों के लिए लगातार सात या इससे अधिक वर्षों तक लाभांश का दावा न किया गया हो या अप्रदत्त रहा है, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। अंतरिम लाभांश 2018–19 के लिए शेयर और लाभांश जो अदावाकृत/ अप्रदत्त हैं, उनको दिनांक 11 मार्च, 2026 के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

शेयरधारक अदावाकृत/ अप्रदत्त लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए पैनकार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति, पते का प्रमाण और अद्यतन क्लाइंट मास्टर लिस्ट सहित अपना खाता संख्या या फोलियों नम्बर का उल्लेख करते हुए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / या कंपनी को तत्काल परंतु 11 मार्च, 2026 से पहले एक औपचारिक पत्र भेज सकते हैं ताकि उनके लाभांश / शेयर आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित न किए जाएं। यदि कंपनी / आरटीए को 11 मार्च, 2026 या ऐसी अन्य तारीख, जो आगे बढ़ाई जा सकती है, तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से अन्य सूचना दिए बिना शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।

संबंधित शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं, वो कृपया ध्यान दें कि नियमानुसार इन शेयरों के डीमेटेरियलाइजेशन तथा इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के उद्देश्य से कंपनी उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके साथ ही शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और वे विक्रेय योग्य नहीं रह जाएंगे।

शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आईईपीएफ नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों/लाभांश का दावा कर सकते हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं रह जाएगा।

कंपनी/आरटीए का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:

एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा.121003 टेलीफोनः 0129-2250437 ईपीएबीएक्स नंबरः0129-2588110/2588500 ईमेलः investorcell@nhpc.nic.in वेबसाइटः www.nhpcindia.com	**मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,** सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31&32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना–500 032 ईमेलः einward.ris@kfintech.com टेलीफोनः 040-67162222 वेबसाइटः www.kfintech.com टोल फ्री नंबर 18003094001

नोटः जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना केवाईसी अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी–पैन (आधार से लिंक), पिन कोड के साथ पता, बैंक विवरण, नामांकन, मोबाइल और ईमेल आईडी को डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) / आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) के माध्यम से अद्यतन करें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 11 दिसंबर, 2025
स्थान : फरीदाबाद